FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0034 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/02/2024 16:17 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 09:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/02/2024 **Time (समय):** 14:20 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/02/2024 16:17:59 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 7 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Ramganaj Chaopad Jaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Sanjay Khoda

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Moolchand

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	69, Rajamal Ka Talab, Kanwar Nager, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	69, Rajamal Ka Talab, Kanwar Nager, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9216204049

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Vikram		पिता:Mohanlal	1. 04,Hinda ki Mori Ramganj,Shyampuri,JAIPUR CITY
2	Vinod Kumar		पिता:Ramkishor	1. Harijan Mohalla,Ralway Station Road,Bassi,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 14.02.2024 को उच्चाकारियों के मार्फत परिवादी श्री संजय खोडा ने अपने रिश्तेदार श्री विजय कुमार लाहोरा के साथ उपस्थित होकर मन् निरीक्षक पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट इस आषय की पेष की कि "मेरे पिता स्व0 श्री मूलचन्द का स्वर्गवास दिनांक 16.03.2023 को हो गया है। मेरे पिता नगर निगम हैरिटेज जयपुर में जमादार के पद पर थे। मेरी माताजी श्रीमती सोनी देवी की पेंशन चालू करवाने के लिये आदर्श नगर जोन में प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। जोन आदर्श नगर में श्री विक्रम बिंवाल सफाई निरीक्षक मेरी माताजी की पेंशन फाईल को अपने पास दबाकर बैठा है। मेरी माता जी की पेंशन फाईल को आगे बढाने के लिये में विक्रम बिंवाल से कई बार मिल चुका हूं। श्री विक्रम बिंवाल मुझ से 1 लाख 50 हमार रूपये की मांग कर रहा है। मैं श्री विक्रम बिंवाल को रिश्वत नहीं देना चाहता, मैं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी विक्रम बिंवाल से कोई रंजिश नहीं है। उससे रूपये की उधार लेन देन भी नहीं है। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया जाकर परिवादी श्री संजय खोडा से मजीद दरियाफ्त की गई। परिवादी के साथ में उपस्थित आये उसके रिश्तेदार से भी परिचय कर मामले में गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया गया, जिस पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाने के लिए कार्यालय में पदस्थापित श्री रमजान, कानि. को तलब किया जाकर परिवादी श्री संजय खोडा से परिचय करवाया जाकर कार्यालय से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली एसडी कार्ड/मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर उसका खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की आवश्यक समझाईस की गई। परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्तालाप की रिकॉर्डिंग हेतु श्री रमजान अली कानि. नं0 466 को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री संजय खोडा व उसके रिश्तेदार श्री विजय कुमार लाहोरा के साथ बाद आवश्यक हिदायत मामूर कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। तत्पष्चात् सांयकाल समय 03ः00 पीएम पर कानि0 श्री रमजान अली नं. 466 मय परिवादी के साथ कार्यालय में मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर बताया कि आज वसंत पंचमी होने के कारण अवकाश होने से संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय बंद मिला, जिस कारण रिश्वत मांग सत्यापन नहीं हो पाया। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी कल सुबह 8ः00 एएम से 11ः00 एएम तक रामगंज चौपड स्थित हाजरीगाह केबिन कार्यालय में मिलेगा। वहां मिलने पर वह मुझसे मेरे कार्य की एवज में रिश्वत की मांग करेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने कानि0 श्री रमजान अली को अवगत कराया कि मैं कल दिनांक 15.02.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में ईकाई हाजा के अन्य प्रकरण की तारीख पेशी नियत होने से माननीय न्यायालय में उपस्थित रहुंगा। इसलिये कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को आप अपने पास में सुरक्षित रखे तथा परिवादी के सम्पर्क में रहकर कल नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करावें। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 15.02.2024 को श्री रमजान अली कानि0 466 ने जरिये दूरभाष सूचित किया कि वह परिवादी के बताये अनुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर परिवादी से सम्पर्क करने के लिये रवाना हो गया। समय 09ः24 एएम पर श्री रमजान अली कानि0 ने जरिये दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को पुनः अवगत कराया कि मैं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर परिवादी श्री संजय खोडा से रामगंज चौपड के पास मिलकर उसे संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रामगंज चौपड स्थित हाजरीगाह रवाना किया। थोडी देर बाद परिवादी संदिग्ध अधिकारी से वार्ता कर मेरे पास पुनः उपस्थित आया जिस पर मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। परिवादी ने मुझे अवगत कराया है कि आज मेरी और मेरे लडके शिवा की संदिग्ध अधिकारी से मेरी माताजी की पेंशन के दस्तावेज बनाने तथा पेंशन चालू करने के सम्बंध में वार्ता हुई है तथा उसने मुझसे उक्त कार्य की एवज में रिश्वत की मांग की है। चूंकि मन् निरीक्षक पुलिस के माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जोधपुर में उपस्थित होने के कारण कानि0 श्री रमजान अली को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को अपने पास में सुरक्षित रखने तथा मेरे कार्यालय में उपस्थित आने पर प्रस्तुत करने की हिदायत की गई।

परिवादी श्री संजय खोडा ने भी जरिये दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मेरी मेरे कार्य के सम्बंध में संदिग्ध अधिकारी से वार्ता हो चुकी है तथा उसने मुझसे 01 लाख 50 हजार रूपये की मांग की है। जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर आईन्दा कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की तथा मामले में गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। दिनांक 19.02.2024 को कानि0 श्री रमजान अली ने कार्यालय में उपस्थित होकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वॉयस क्लिप को सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो उसमें परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य की वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया एवं उक्त वार्ता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से उसकी माताजी की पेंशन पत्रावली के दस्तावेज अग्रेषित करने तथा पेंशन चालू करवाने की एवज में 01 लाख 50 हजार रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। दिनांक 21.02.2024 को परिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने पर परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री विक्रम बिंवाल कल प्रातः 10 बजे तक रामगंज चोपड स्थित हाजरीगाह में रहेगा तब वह रिश्वत राशि प्रातः ही मुझसे प्राप्त करेगा। उसके बाद वह फिल्ड में चला जाता है या जवाहर नगर स्थित कार्यालय में चला जाता है। जिस पर परिवादी को दिनांक 22.02.2024 को प्रातः 07ः00 एएम पर कार्यालय में संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर उपस्थित आने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी की जाकर दिनांक 22.02.2024 को प्रातः 07ः00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 22.02.2024 को परिवादी अपने रिश्तेदार श्री विजय कुमार लाहोरा के साथ कार्यालय में उपस्थित आया। तलबिदा स्वतंत्र गवाहान क्रमशः श्री इन्दुकान्त यादव पुत्र श्री रामावतार यादव उम्र 36 साल निवासी ढाणी बोहरावाली, गांव कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर तथा श्री हर्षराज तंवर पुत्र श्री मेघराज तंवर उम्र 31 साल निवासी 266, कश्यप मार्ग, सुभाष चौक, शिवमंदिर के पीछे, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी से उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया गया। परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य दिनांक 15.02.2024 को हुई रिश्वती मांग सम्बन्धी वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादी से बातचीत कर उसकी शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से टै्रप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई। तत्पष्चात उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संजय खोडा ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि में से 40,000/- रूपये की व्यवस्था होना बताकर 40,000/-रूपये जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 80 नोट कुल 40,000/- रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। इन नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटों के नम्बर मन् निरीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री कमलेश कानि0 293 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त पांच-पांच सौ रूपये के 80 नोटों पर श्री कमलेश कानि0 293 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री इन्दुकान्त यादव से परिवादी श्री संजय खोडा की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री कमलेश कानि0 293 से परिवादी के पहनी हुई पेंट के सामने की बांयी तरफ की जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 40,000/-रू. संदिग्ध अधिकारी को देने हेतु रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नहीं छुयेगा तब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवे। संदिग्ध अधिकारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर 9829223391 पर मिसकॉल/फोन कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्री कमलेश कानि0 293 के दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि संदिग्ध अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को श्री कमलेश कानि0 293 से बाहर फिकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा श्री कमलेश कानि0

293 के दोनां हाथां को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव टै्रपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा टै्रपबाक्स में रखी खाली शीशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल फोन उसे सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपनी पेंट के सामने की दांयी जेब में रखे आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। संदिग्ध अधिकारी व उसके मध्य रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर कार्यवाही में पूर्व में काम में लिया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया तथा श्री कमलेश कानि0 293 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर अलग से तैयार कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री संजय खोडा को उसके रिश्तेदार श्री विजय कुमार लाहोरा के साथ उसकी मोटरसाईकिल नं0 आरजे 14 वाईजे 5647 से रामगंज चौपड पर पहुंचने ही हिदायत कर रवाना किया गया तथा परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे-पीछे श्री रमजान अली कानि0 नं0 466 तथा श्री पन्नालाल कानि0 नं0 09 को उनकी निजी मोटरसाईकिल से बाद मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। तत्पष्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री सुभाष मील हैडकानि0 नं0 35, श्री मनीष सिंह कानि0 486, श्री हिमांशु शर्मा कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाहान श्री इन्दुकान्त यादव, कनिष्ठ सहायक तथा श्री हर्षराज तंवर, कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन एवं चालक मय लेपटॉप, प्रिंटर, कागज, ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के समय 08ः40 एएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु रामगंज चौपड, जयपुर हेतु रवाना होकर समय 09ः00 एएम पर रामगंज चौपड पर पुलिस थाना रामंगज से पहले सडक किनारे पहुंचे। जहां पर परिवादी मय जाब्ता के साथ अपनी-अपनी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिले। जहां पर सरकारी वाहन तथा मोटरसाईकिलों को सडक के किनारे की तरफ खडा करवाया गया। परिवादी ने रामगंज चौपड पर टिन सेड की बनी गुमटी की ओर ईशारा कर बताया कि यही नगर निगम हैरिटेज की हाजरीगाह है जिसमें संदिग्ध अधिकारी आकर बैठता है तथा कर्मचारियों की हाजरी भरता है। इस समय वह हाजरीगाह में ही है। इसी दौरान एक लडका परिवादी के पास आया जिसके बारे में परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यह मेरा लडका शिवा है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने शिवा को अपना तथा हमराहियान का परिचय दिया तथा मामले में गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी। जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं शिवा को साथ में लेकर ही संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के लिये जाउंगा। तत्पश्चात् कानि0 श्री रमजान अली से परिवादी के पास में रखे गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करवाकर पुनः परिवादी को सुपुर्द करवाकर परिवादी को उसके पुत्र श्री शिवा के साथ संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के लिये रामगंज चौपड पर नगर निगम की बनी हुई हाजरीगाह के लिये रवाना किया गया। श्री रमजान अली कानि0 तथा स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत कर रवाना किया गया। रामगंज थाने के पास सडक किनारे सरकारी वाहन को खडा करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता भी परिवादी के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के आस-पास रहते हुये उस पर निगरानी रखते हुये परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुये। परिवादी मौके से रवाना होकर रामगंज चौपड पर बनी हुई हाजरीगाह के अन्दर जाकर कुर्सी पर बेठ गया तथा सामने कुर्सी पर बेठे व्यक्ति से वार्ता करने लग गया, उक्त हाजरीगाह में अन्य व्यक्ति आकर खडा हुआ था। थोडी देर बाद ही परिवादी ने उक्त हाजरीगाह से बाहर निकलकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते एवं स्वतंत्र गवाहान के मौके पर परिवादी के पास पहुंचें। परिवादी ने अपने पास से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया, जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने उक्त हाजरीगाह में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि यह ही संदिग्ध श्री विक्रम बिंवाल है जिसने मेरे से अभी मेरी माताजी की पेंशन चालू करवाने की एवज में मुझसे 40,000/- रूपये अपनी टेबल पर रखवाकर अपने सफाई कर्मचारी श्री विनोद कुमार को दिये है जिसे विनोद कुमार ने अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पजामे की दाहिनी जेब में रख लिये है। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को साईड की तरफ पान की थडी की ओर खडे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि वह व्यक्ति ही विनोद कुमार है। जिसको श्री विक्रम बिवाल ने पैसे लेने के लिये कहा है तथा उसने विक्रम बिवाल के कहने पर पैसे टेबल से उठाकर अपनी जेब में रखे है। उक्त व्यक्ति विनोद को भी हाजरीगाह पर बुलाया। श्री विनोद कुमार के हाजरीगाह पर आने पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ उक्त हाजरीगाह मे ंप्रवेश किया तथा सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री विक्रम पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 43 साल निवासी प्लाट नम्बर 04, हिदा की मोरी, रामगंज, श्यामपुरी, जयपुर हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादार, आदर्शनगर जोन कार्यालय, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर होना बताया। इसी समय हाजरीगाह पर उपस्थित आये श्री विनोद को भी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री विनोद कुमार पुत्र

रामकिशोर उम्र 40 साल निवासी हरिजन मोहल्ला, रेलवे स्टेशन रोड़, बस्सी, जयपुर हाल सफाई कर्मचारी, कार्यालय आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध अधिकारी श्री विक्रम को परिवादी श्री संजय खोडा की तरफ ईशारा कर पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे कोई रिश्वत राशि ली है, तो पहले घबरा गये तथा बाद में तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है। तत्पश्चात् मौके पर उपस्थित परिवादी श्री संजय खोडा ने बताया कि नहीं यह अभी झूठ बोल रहे है इन्होंने अभी मेरे से मेरी माताजी की पेंशन चालू करवाने की एवज में मेरे से 1 लाख 50 हजार रूपये मांगे थे। अभी अभी 40,000/- रूपये अपनी टेबल पर रखवाकर श्री विनोद को बुलाकर रखने के लिये कहा, जिस पर इस विनोद ने उक्त पैसे टेबल से उठाकर अपने पजामा के सामने की दाहिनी जेब में डाल लिये है। जिस पर मौके पर उपस्थित श्री विनोद को रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि अभी थोडी देर पहले यह व्यक्ति तथा एसआई साहब विक्रम जी यहां ऑफिस में बात कर रहे थे उस समय एसआई साहब विक्रम जी ने मुझे बुलाकर स्वयं के सामने टेबल पर रखे पैसो को रखने के लिये कहा, यह व्यक्ति विक्रम जी को पैसे गिनने के लिये कह रहा था। विक्रम जी ने हाथ से ईशारा कर मुझे उक्त पैसे रखने के लिये कहा। जिस पर मैंने टेबल पर रखे हुये पैसो को उठाकर मेरी पहनी हुई पजामे की जेब में रख लिये। मुझे नहीं पता की इन दोनों के मध्य में क्या बात हो रही थी। मैंने विक्रम जी को यह भी नहीं पूछा की उक्त पैसे किस बात के है। तत्पश्चात पुनः विक्रम को परिवादी से अभी अभी ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध मे ंपूछने पर संदिग्ध श्री विक्रम ने बताया कि इनके पिताजी श्री मूलचन्द जोन कार्यालय में जमादार के पद पर पदस्थापित थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके सर्विस के भुगतान सम्बंधी कार्य के लिये श्री संजय मेरे पास आये थे मैंने उनके भुगतान सम्बंधित सम्पूर्ण कार्य कर दिया । अब उनकी पेंशन सम्बंधी कार्य कर रहा हूं जिसके लिये मैंने इनको दस्तावेज आदि लाकर देने के लिये कहा था। इन्होंने मुझे अभी तक कागज नहीं दिये है। इसके अलावा संजय मेरे को कह रहा था कि मेरे पिताजी की जगह अनुकम्पा नियुक्ति मेरे लडके शिवा को दे दो जिसके लिये मैंने मना कर दिया था। मेरे को इस बात की जानकारी थी कि श्री मूलचन्द के दो पत्नी है। परन्तु श्री संजय श्रीमती सोनी देवी के नाम पेंशन चालू करवाना चाह रहा था। मैंने उक्त पैसे इनकी माताजी की पेंशन चालू करवाने तथा नियमानुसार आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने की एवज में प्राप्त किये है। मैं इनका सही काम करना चाह रहा था। श्री संजय ऑवर एज हो गया है। यह मुझसे गलत काम करवाना चाह रहे थे। परन्तु मेरी गलती हो गई मुझे माफ करों। तत्पश्चात परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि के लिये स्वतंत्र गवाह श्री हर्षराज तंवर से संदिग्ध श्री विनोद कुमार की जामा तलाशी लिवाई गई तो श्री विनोद कुमार के पहने हुये पजामे के सामने की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोट बरामद हुये, जिनको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो उक्त 500-500 रूपये के कुल 80 नोट होकर कुल 40,000/- रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटां के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये, जिस पर नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। तत्पश्चात संदिग्ध श्री विनोद कुमार के पहने हुये पजामे के सामने की दाहिनी जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 40,000/-रू0 को स्वतंत्र गवाह श्री हर्षराज तंवर को सुरक्षित अपने पास में रखने की हिदायत की गई। चूंकि मौके पर रामगंज चौपड होने के कारण लोगो की आमद रफत अत्यधिक है तथा तमाशबीन लोगों की भीड भी ज्यादा एकत्रित हो चुकी है तथा सुबह का समय होने के कारण सफाई कर्मचारियों की भी मौके पर अत्यधिक भीड है इसलिये मामले में अग्रिम कार्यवाही मौके पर किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होने से अब तक की कार्यवाही के हालात पर्यवेक्षण अधिकारी को निवेदन किये गये। तत्पश्चात् निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही पास में ही स्थित पुलिस थाना रामगंज में जाकर की जाने के लिये आरोपी श्री विनोद कुमार के दोनों हाथ श्री रमजान अली कानि0 से पकडवाकर सरकारी वाहन में बिठाया गया, आरोपी श्री विक्रम को भी सरकारी वाहन में बिठाया गया। हाजरीगाह को बंद कर श्री मनीष सिंह कानि0 486 को निगरानी हेतु हिदायत कर मौके पर छोडा गया। आरोपी श्री विक्रम के वॉकी टोकी हैडसेट को हमराह लेकर सरकारी वाहन मय जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहन तथा परिवादी के साथ हाजरीगाह से रवाना होकर पुलिस थाना रामगंज पहुंचा। जहां पर एचएम कार्यालय में उपस्थित स्टाफ को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ सुरक्षित स्थान के लिये निवेदन किया। जिस पर थाना स्टाफ द्वारा थाने में बांयी तरफ बने हुये एक क्वार्टर खोलकर उसमें कार्यवाही करने बाबत कहा, जिस पर दोनों आरोपीगण को उक्त क्वार्टर में बैठाया गया। तत्पश्चात् सरकारी वाहन से लेपटॉप, ट्रेप बॉक्स, प्रिंटर आदि सामान निकलवाकर उक्त क्वार्टर में रखवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री संजय खोडा द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु एक प्लास्टिक की बोतल में पीने का स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री विनोद कुमार के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री विनोद कुमार के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा

एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री विनोद कुमार के लिये दूसरी पेन्ट/लॉअर की व्यवस्था कर आरोपी के पहने हुये पजामे को उतरवाया जाकर दूसरी पेंट/लॉअर पहनाया गया। तत्पष्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री विनोद कुमार की उतरवाये गये पजामे के सामने की दाहिनी जेब (जहां से रिष्वत राषि बरामद हुई) को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डूबोकर धोवन लिया गयो तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी के पजामे की दाहिनी जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पजामे को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क P अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितां के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि आरोपी श्री विक्रम द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में नहीं लेकर टेबल पर रखवाई जाकर अपने अधीनस्थ श्री विनोद कुमार को दिलवाई गई है। इसलिये आरोपी श्री विक्रम के हाथों की अंगुलिया व अंगुठे का धोवन नहीं लिया गया। चूंकि आरोपी श्री विक्रम द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने कार्यालय कक्ष हाजरीगाह की टेबल पर रखवाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी आरोपी श्री विनोद कुमार से उठवाकर उसके पास रखवाये गये है जिसके कब्जे से दोराने कार्यवाही रिश्वत राशि बरामद होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी विक्रम के कार्यालय हाजरीगाह की टेबल का भी धोवन लिया जाना आवश्यक होने से मन् निरीक्षक पुलिस दोनों आरोपीगण को श्री पन्नालाल कानि0 मय जाब्ता की निगरानी में थाने के उक्त क्वार्टर में बाद हिदायत छोडकर स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स एवं परिवादी तथा श्री हिमांशु शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री रमजान अली के साथ थाने से रवाना होकर हाजरीगाह पहुचा, जहां पर पूर्व से पाबंदशुदा कानि0 श्री मनीष सिंह नं0 486 उपस्थित मिला। जिस पर उक्त हाजरीगाह को खोलकर परिवादी के बताये अनुसार उसमें स्थित टेबल के बीच (जहां आरोपी ने रिश्वत राशि रखने हेतु परिवादी को इशारा करने पर परिवादी द्वारा टैबल पर रिश्वत राशि रखी गई थी) में से प्रक्रियानुसार एक सफेद कपडे की चिंदी की सहायता से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क T-1, T-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात सफेद कपडें की चिंदी को सुखाकर चिंदी पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर उसे माचिस की डिब्बी में डालकर एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क C अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितां के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् मौके कार्यवाही के पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पुनः पुलिस थाना रामगंज पहुंचा जहां पर श्री पन्नालाल कानि0 मय हमराहियान जाब्ता तथा डिटेनशुदा आरेपीगण के उपस्थित मिले। जहां पर आरोपी श्री विक्रम को परिवादी से सम्बंधित कार्य की पत्रावली के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि इनके पिताजी की सर्विस का समस्त भुगतान हो चुका है केवल इनकी माताजी की पेंशन तथा पिताजी के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति का कार्य बाकी है। इनकी माताजी की पेंशन पत्रावली मैंने तैयार कर ली जो मेरे जोन-कार्यालय में रखी हुई है। अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बंध में इनके द्वारा दस्तावेज नहीं उपलब्ध करवाये गये है। मेरे पास जोन कार्यालय का सस्थापन का चार्ज है। इसलिये उक्त कार्य मेरे द्वारा ही किया जा रहा था। नियमानुसार इनकी माताजी की पत्रावली मुझे डीडीआर को प्रेषित करनी होती है। आईन्दा आरोपी श्री विक्रम के कार्यालय से परिवादी से सम्बंधित पत्रावली प्राप्त की जावेगी। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री हर्षराज तंवर द्वारा आरोपी श्री विनोद कुमार के पहने हुये पजामे के सामने की दाहिनी जेब से बरामद रिश्वत राशि 40,000/- रूपये निकालकर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किये जिन्हें एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री विक्रम के वॉकी टॉकी हेडसेट को मौके पर आये मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्री विनोद तम्बोली को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। आरोपी श्री विक्रम के पास एक छल्ले में चार चाबी मिली, जिनके सम्बंध में आरोपी श्री विक्रम को पूछने पर उसने एक चाबी कार्यालय की अलमारी की चाबी है तथा दो चाबी हाजरीगाह की दराज व केबिन की एवं एक चाबी उसकी वेगन आर कार की होना बताई। जिसे ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार करने हेतु सुरक्षित टै्रप बाक्स में रखा गया। अब तक की कार्यवाही से श्री विक्रम पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 43 साल निवासी प्लाट नम्बर 04, हिदा की मोरी, रामगंज, श्यामपुरी, जयपुर हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादार, आदर्शनगर जोन कार्यालय, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा परिवादी श्री संजय खोडा से उसकी माताजी की पेंशन चालू करवाने तथा अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने की एवज में दिनांक 15.02.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 01 लाख 50 हजार रूपये की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 22.02.2024 को परिवादी से 40,000/- रूपये स्वयं के हाजरीगाह कक्ष की टेबल पर रखवाकर प्राप्त कर अपने अधीनस्थ सफाई कर्मचारी आरोपी श्री विनोद कुमार पुत्र रामकिशोर उम्र 40 साल निवासी हरिजन मोहल्ला, रेलवे स्टेशन रोड़, बस्सी, जयपुर हाल सफाई कर्मचारी, कार्यालय आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर के साथ अवैध रूप से मिलीभगत कर उक्त रिश्वत राशि 40,000/-रूपये लेना प्रमाणित पाया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री विनोद कुमार पुत्र रामकिशोर उम्र 40 साल निवासी हरिजन मोहल्ला, रेलवे स्टेशन रोड़, बस्सी, जयपुर हाल सफाई कर्मचारी, कार्यालय

आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा आरोपी श्री विक्रम से अवैध रूप से मिलीभगत कर परिवादी की माताजी की पेंशन चालू करने तथा अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने की एवज में परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने में आरोपी श्री विक्रम का सहयोग कर आरेपी श्री विक्रम के कहे अनुसार उसके लिये हाजरीगाह कक्ष की टेबल से रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पास रखना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार दोनों आरेपीगण श्री विक्रम पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 43 साल निवासी प्लाट नम्बर 04, हिदा की मोरी, रामगंज, श्यामपुरी, जयपुर हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादार, आदर्शनगर जोन कार्यालय, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर तथा श्री विनोद कुमार पुत्र रामकिशोर उम्र 40 साल निवासी हरिजन मोहल्ला, रेलवे स्टेशन रोड़, बस्सी, जयपुर हाल सफाई कर्मचारी, कार्यालय आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा आपस में मिलीभगत कर परिवादी की माताजी की पेंशन चालू करने तथा परिवादी को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने की एवज में 01 लाख 50 हजार रूपये बतौर अनुचित लाभ की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 22.02.2024 को दौराने कार्यवाही परिवादी से 40,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना तथा आरोपी श्री विनोद कुमार के कब्जे से उक्त रिश्वत राशि बरामद होना पाया जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 120 बी भादंसं में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण को उनके जुर्म एवं संवेधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने कानि0 श्री पन्नालाल नं0 09 मय जाब्ता को गिरफतारशुदा आरोपीगण को सुपुर्द कर निगरानी हेतु आवश्यक हिदायत कर घटनास्थल के निरीक्षण हेतु स्वतंत्र गवाहान परिवादी तथा श्री मनीष सिंह कानि0 486 के साथ पुलिस थाने से रवाना होकर रामगंज चौपड स्थित हाजरीगाह के पास पहुंचा। जहां पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा एवं हालात मौका मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त के साथ मौके से रवाना होकर पुलिस थाना रामगंज पहुचा जहां पर हमराहियान जाब्ता तथा गिरफतारशुदा आरोपीगण उपस्थित मिले। पुलिस थाना रामगंज पर उपस्थित स्टाफ को उक्त क्वार्टर सुरक्षित हालात में सुपुर्द किया गया। परिवादी को ब्यूरो मुख्यालय पहुचने की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता तथा गिरफतारशुदा आरोपीगण मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर एवं शिल्डशुदा पैकेटों के पुलिस थाना रामगंज से रवाना होकर कार्यालय उपायुक्त आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर में पदस्थापित श्री राजेन्द्र कुमार आर्य, उपायुक्त पीए को गिरफतारशुदा आरोपी श्री विक्रम, स्वास्थ्य निरीक्षक की टेबल की दराज की चाबी सपुर्द की जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई तथा परिवादी की माताजी श्रीमती सोनी देवी की पेंशन से सम्बंधित पत्रावली चाहने हेतु पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान तथा गिरफतारशुदा आरोपीगण के रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा। गिरफताशुदा आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय उपायुक्त, आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर से परिवादी की माताजी श्रीमती सोनी देवी की पेंशन से सम्बंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति तथा आरोपीगण का सेवा विवरण प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। ् दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 15.02.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी तथा आरोपी श्री विक्रम के मध्य हुई वार्ता, दिनांक 22.02.2024 को रिश्वत आदान-प्रदान के समय परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष उपरोक्त वार्ताओं की लेपटॉप/डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के जरिये पांच सी.डी. तैयार कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक के कवर में रखकर टेप लगाकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर टेप लगाकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क 'SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरेपीगण श्री विक्रम पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 43 साल निवासी प्लाट नम्बर 04, हिदा की मोरी, रामगंज, श्यामपुरी, जयपुर हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक/जमादार, कार्यालय उपायुक्त, आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर तथा श्री विनोद कुमार पुत्र रामकिशोर उम्र 40 साल निवासी हरिजन मोहल्ला, रेलवे स्टेशन रोड़, बस्सी, जयपुर हाल सफाई कर्मचारी, कार्यालय उपायुक्त, आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा आपस में मिलीभगत कर परिवादी की माताजी की पेंशन चालू करने तथा परिवादी को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने की एवज में 01 लाख 50 हजार रूपये बतौर अनुचित लाभ की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 22.02.2024 को दौराने कार्यवाही परिवादी से 40,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना पाया जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 120 बी भादंसं में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है । अतः आरोपीगण 1. श्री विक्रम पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 43 साल निवासी प्लाट नम्बर 04, हिदा की मोरी, रामगंज, श्यामपुरी, जयपुर हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक/जमादार, कार्यालय उपायुक्त, आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर 2. श्री विनोद कुमार पुत्र रामकिशोर उम्र 40 साल निवासी हरिजन मोहल्ला, रेलवे स्टेशन रोड़, बस्सी, जयपुर हाल

सफाई कर्मचारी, कार्यालय उपायुक्त, आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 120 बी भादंसं0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है। (रघुवीर शरण) निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, जयपुर ने जरिये विशेष वाहक प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री विक्रम पुत्र श्री मोहनलाल हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक/जमादार, कार्यालय उपायुक्त, आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर तथा 2.श्री विनोद कुमार पुत्र रामकिशोर हाल सफाई कर्मचारी, कार्यालय उपायुक्त, आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 34/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, जयपुर को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी की गई उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 344 पर अंकित है।(रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।क्रमांकः-166-70 दिनांक 23.02.2024
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।2.आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।3.आयुक्त (कार्मिक), नगर निगम जोन हेरिटेज, जयपुर।4.उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Sajjan Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/02/2024 16:25:54

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	22/08/1980				
2	Male	01/01/1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)